

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012—श्रावण 12, शक 1934

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक 1238/680/2012/स्था./चार.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल 8-9/2011/वित्त/बजट-4, दिनांक 23-07-2011 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 01-08-2012 से 31-03-2013 तक वृद्धि करते हैं.

No. 1238/680/2012/Estt./Four.—In Pursuance of this department's notification No. 1086/L 8-9/2011/Finance/B-4, dated 23-07-2011, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of State Finance Commission from 01-08-2012 to 31-03-2013.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

